



ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा नेमी आदेश संख्या सी-01/37-जी-9 दिनांक 20-03-2020
GEODETIC & RESEARCH BRANCH ROUTINE ORDER NO. 01/37-G-9 DATED 20-03-2020

1-ग्रुप 'सी' डिविजन-11 अभिलेखपाल ग्रेड-IV के पद पर प्रारम्भिक वर्गीकरण :- दिनांक 01-04-2017 से 31-03-2019 तक दो (02) वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद निम्नलिखित कर्मचारियों का ग्रुप 'सी' डिविजन-11 अभिलेखपाल ग्रेड-IV के पद पर दिनांक 01-04-2019 से प्रारम्भिक वर्गीकरण किया जाता है :-

- 1- श्री महावीर प्रसाद बहुगुणा
- 2- श्री सुरेश चन्द (PH)
- 3- श्री दिग्विजय सिंह कठैत

{ प्राधिकार:-1- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का विभागीय आदेश सं0 ई•2-5819/2133-डी0सी0 (संग्रह-32) दिनांक 23-09-2019 }
2-भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का विभागीय आदेश सं0 ई•2-7847/2133-डी0सी0 (संग्रह-33) दिनांक 26-12-2019 }

1- **Initial Classification to the post of Gp 'C' Div-II Record Keeper Gde -IV:-** The Initial classification of the following employees is granted w.e.f. 01-04-2019 to the post of Group " C " Div.II R.K. Gde. IV, after successfull completion of 2 years Training (01-04-2017 to 31-03-2019)

- 1- Shri Mahavir Prasad Bhuguna
- 2- Shri Suresh Chand (PH)
- 3- Shri Digvijay Singh Kathait

Authority:- 1- S.G.'s Office Departmental Order No. E.2-5819/2133-D.C. (Coll. 32) dt. 23-09-2019)
2-S.G.'s Office Departmental Order No. E.2-7847/2133-D.C. (Coll. 33) dt. 26-12-2019)

2- प्रशासन को मजबूत बनाना - 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा का पुनरीक्षण :- अपर महासर्वेक्षक विशिष्ट क्षेत्र के कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके द्वारा 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर, जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है:-

क्र0 सं0	नाम व पदनाम सर्वे श्री/श्रीमती	50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर	प्राधिकार
1.	श्री अनिल कुमार राहया, अभिलेखपाल डिविजन-1	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर	अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून का पत्र सं0 सी-40/ 18-ए-5 (संग्रह-3) दिनांक 04-02-2020

2- **Regarding Strengthen of Admn.-Review of Govt. Officials attaining the age of 50/55 yrs and completing of 30 yrs of Service :-** Special Reviewing Committee Constituted in the Office of Addl.S.G. Specialized Zone has granted retention in Govt. Service of the following Official on attaining the age of 50/55 yrs. or completion of 30 yrs. of service as shown against his name :-

Sl. No.	Name and Designation	On attaining the age of 50/55 yrs. or completing of 30 yrs. of service.	Authority
1-	Sh. Anil Kumar Rahya , Record Keeper Divi. I	On attaining the age of 50 years	Addl. S.G. Specialized Zone's Letter No.C-40/18-A-5(Coll.3) dt. 04-02-2020

3- **निरन्तर सेवा में बना रहना:-** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं०-23-28/69-सर-1 दिनांक 10-05-1973 के अन्तर्गत (जो कि भारत के महासर्वेक्षक के पृष्ठांकन सं० आर-18247/1442 दिनांक 21-05-1973 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ) के अन्तर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों के आधार पर ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के निम्नलिखित अस्थाई कर्मचारियों को आगामी एक वर्ष के लिए यानि दिनांक 01-03-2020 से 28-02-2021 तक या इससे कम अवधि तक या जब तक इनकी सेवाओं की वास्तविक रूप से आवश्यकता हो सेवा में निरन्तर बना रहना स्वीकार किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम व पदनाम	विभाग में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री सोमपाल सिंह, वाहन चालक	18-10-2017
2.	श्री अभिषेक राय, अवर श्रेणी लिपिक	15-03-2018

3- **Continuous Employment :-** In Exercise of the Power conferred under Deptt. of Science & Technology Govt. of India, New Delhi letter No. 23-28/69-sur-1 dated 10-05-1973 (Which is received under S.G. Endorsedment No.R-18247/1442 dated 21-05-1973) the following temporary Employees of Geodetic & Research Branch are hereby extended to further one year w.e.f. 01-03-2020 to till 28-02-2021 or upto Day his services required :-

Sl. No.	Name & Designation	Date of appointment in the Department
1-	Shri Sompal Singh, MTD	18-10-2017
2-	Shri Abhishek Rai, LDC	15-03-2018

4- **एम० ए० सी० पी० योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षकों को प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में :-** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र -सं० ए-11019/1/2008 सी० डी० एन०, दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०, (डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सर्वेक्षक के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गयी तारीख से वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम. ए. सी. पी. योजना के तहत 'प्रथम' वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रमांक	नाम	पदनाम	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1-	श्री जीतेन्द्र सिंह	सर्वेक्षक	01-01-2020
2-	श्री अनिल कुमार	सर्वेक्षक	01-01-2020

- (i) एम० ए० सी० पी० योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारियों को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ० आर०-22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।
- (ii) सन्निहित अतिरिक्त व्यय ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा कर उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

{ प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र संख्य सी-1266/1902-एम० ए० सी० पी०-1(सर्वेयर) (संग्रह-IV)
दिनांक 17/18-03-2020 }

4-Regarding Grant of Financial Upgradation to Surveyors Under M.A.C.P. :- In accordance with instructions contained in Ministry of Personal, Public Grievances and Pension (DOP&T's) OM NO. 35034/ 3/2008-Estt (D) 19-05-2009, received under Deptt. of Science & Technolog letter No. A- 11019/1/2008 CDN dated 08-06-2009, the following Surveyors of G.&R.B. Survey of India are granted 1st financial upgradation in **pay matrix level-7** under MACP Scheme for Central Civil Govt. employees from the date shown against their names :-

Sl. No.	Name	Designation	Date from which MACP granted
1.	Shri Jitendra Singh	Surveyor	01-01-2020
2.	Shri Anil Kumar	Surveyor	01-01-2020

- i) On grant of financial upgradation under MACP Scheme the said employees will have to give option under F.R.- 22(1)(A)(1) for pay fixation in new pay Scale.
- ii) The extra expenditure involved will be met from within the Sanctioned Budget Grant for G.&R.B and debited to the appropriate head of account.

(Authority:- S.G. of India letter No. C-1266/1902-MACP-I(Surveyor) (Coll. IV) dated- 17/18-03-2020)

5- **स्थानान्तरण :-** निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शाये गये कार्यालय से/को स्थानान्तरित हुए हैं :-

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	कार्यालय		स्थानान्तरण की तिथि
		से	को	
1.	श्री अशोक कुमार- II, अधिकारी सर्वेक्षक	ज्यो.एवं अनु.शाखा	एस.जी.ओ.	13-11-2019
2.	श्री दिग्विजय सिंह कठैत, एम.टी.एस. (अब अभिलेखपाल ग्रेड-IV)	एस.जी.ओ.	ज्यो.एवं अनु.शाखा	29-01-2020
3.	श्री सुरेश चन्द, एम.टी.एस. (अब अभिलेखपाल ग्रेड-IV)	उत्तराखण्ड एवं प0उ0प्र0, जी.डी.सी.	ज्यो.एवं अनु.शाखा	30-01-2020
4.	श्रीमती किरन मनूरी, पटचित्रक ग्रेड-IV	राजस्थान जी.डी.सी.	ज्यो.एवं अनु.शाखा	27-02-2020
5.	श्री एस. एन. पाठक, आर्टिफीशर	एन. जी.डी.सी.	ज्यो.एवं अनु.शाखा	06-03-2020
6.	श्री संतोष कुमार ध्यानी, पटलचित्रक ग्रेड-IV	जे0 एण्ड के0, जी.डी.सी.	ज्यो.एवं अनु.शाखा	18-02-2020
7.	श्री सोमनाथ, मानचित्रकार डिवि.- I	मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश, जी.डी.सी.	ज्यो.एवं अनु.शाखा	13-03-2020

5- **TRANSFER:-** The following Officer is hereby Transferred From/To Office shown against their Names:-

Sl. No.	Name and Designation	Office		Date of Transfer
		From	To	
1-	Shri Ashok Kumar-II Officer Surveyor	G.&R.B.	S.G.O.	13-11-2019
2-	Shri Digvijay Singh Kathait M.T.S.(Now R.K. Gde-IV)	S.G.O.	G.&R.B.	29-01-2020
3-	Shri Suresh Chand. M.T.S. (Now R.K. Gde-IV)	UK&West UP GDC	G.&R.B.	30-01-2020
4-	Smt. Kiran Manuri, P/Tr.	Rajasthan GDC	G.&R.B.	27-02-2020
5-	Shri S.N. Pathak, Artificer	NGDC	G.&R.B.	06-03-2020
6-	Shri Santosh Kumar Dhyani, P/Tr. Gde-IV	J & K, GDC	G.&R.B.	18-02-2020
7-	Shri Somnath D/Man Div.I	Meghalayal & AR. Pradesh, GDC	G.&R.B.	13-03-2020

6- **सेवा निवृत्ति:-** ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तिथि से सेवा-निवृत्त हो गये हैं :-

क्र० सं०	नाम व पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
1-	श्री राम संजीवन, कारपेन्टर	30-11-2019
2-	श्री अम्बिका प्रसाद, एम.टी.एस.	30-11-2019
3-	डा. एस.के. सिंह, निदेशक	31-12-2019
4-	श्री मुरारी लाल, अधिकारी सर्वेक्षक	31-12-2019
5-	श्री उमाकान्त शर्मा, स्थापना एवं लेखा अधिकारी	31-12-2019
6-	श्री रमेश कुमार थापा, आर्टिफिशर	31-12-2019
7-	श्री वी.एम. काला, इन्स्ट्रुमेन्ट मैकेनिक (उ.कु.)	31-01-2020
8-	श्री नरेन्द्र सिंह, इन्स्ट्रुमेन्ट मैकेनिक(कुशल)	31-01-2020
9-	श्री ए.के. सावन, अधिकारी सर्वेक्षक	29-02-2020
10-	श्री के.एम. पन्त, अधिकारी सर्वेक्षक	29-02-2020
11-	श्री वी.एस. पंवार, इन्स्ट्रुमेन्ट मैकेनिक (कुशल)	29-02-2020

6- **RETIREMENT:-** The following Officials of G.&R.B. have retired from the date shown against their names:-

Sl. No.	Name and Designation	Date of Retirement
1-	Shri Ram Sanjivan, Carpenter	30-11-2019
2-	Shri Ambika Prasad, MTS	30-11-2019
3-	Dr. S.K. Singh, Director	31-12-2019
4-	Shri Murari Lal, Officer Surveyor	31-12-2019
5-	Shri Uma Kant Sharma, E&AO	31-12-2019
6-	Shri Ramesh Kumar Thapa, Artificer	31-12-2019
7-	Shri V.M. Kala, Instt.Mech. (HS)	31-01-2020
8-	Shri Narendra Singh, Instt. Mech. (Skilled)	31-01-2020
9-	Shri A.K. Sawan, Officer Surveyor	29-02-2020
10-	Shri K.M. Pant, Officer Surveyor	29-02-2020
11-	Shri V.S. Panwar, Instrument Mechanic (Skilled)	29-02-2020

7- **दण्ड :-** श्री श्रीकान्त शर्मा, सहायक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (12) के उपनियम (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित दण्ड दिया गया है :-

“ श्री श्रीकान्त शर्मा के वेतन को, रु• 55,200/- (मूलवेतन) से दो चरण घटाकर रु• 52,000/- (मूलवेतन) किया जाए जो कि दिनांक 20-02-2020 से प्रभावी होगा तथा वेतनमान के लेवल-7 की समयावधि में रहते हुए 3 वर्ष के लिए होगा। आगे यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त घटौती के दौरान श्री श्रीकान्त शर्मा को वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी तथा इस अवधि के अन्त में, इस घटौती का उनके भवष्य की वेतन-वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं होगा अर्थात्, इसका उनकी पेंशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। ”

(प्राधिकार:-अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र का आदेश सं० सी-61/12-एच-1/चेकअप (संग्रह 2) दिनांक 20-02-2020)

7- **Punishment :-** Shri Shree Kant Sharma, Assistant, G&RB has awarded the following penalty by the Competent Authority under Sub Rule (2) of Rule 12 of Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules 1965 .

“The pay of Shri Shreekant Sharma be reduced by two stages from Rs. 55,200/- (Basic) to Rs. 52,000/- (Basic) in the time scale of pay of level-7 for a period of three years with effect from 20/02/2020. It is further directed that Shri Shreekant Sharma will not earn increments of pay during the period of reduction and that on the expiry of this period the reduction will not have the effect of postponing his future increments of pay i.e. will not adversely affect his pension”.

(Authority:- Addl. S. G. Specialized Zone's Order No. C- 61/12-H-1/ Checkup (Coll.2) dated 20-02-2020.)



(नीरज गुर्जर)
निदेशक

ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा
(सामयिक आधार)

वितरण/ Distribution:-

- 1- प्रभारी, वेबसाईट मैनेजमेन्ट सिस्टिम (आई• टी• सैल) महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 2- स्थापना एवं लेखा अधिकारी, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- Incharge, Website Management System (IT Cell) Office of Surveyor General of India, Dehradun for Necessary action.
- 2- E&AO, G&RB or information and necessary action.